

38/25 पत्रावली पेगी में ली गई। प्रार्थना पत्र आंग्लिक  
परिवर्तन से लाय स्वीकार किया जाता  
है- विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया  
जाकर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली नंबर से कम की जाकर  
काबिल कपतर की जाती है आदेश  
रदुबे न्यायालय में सुनाया गया।

कि  
राक्षयक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
रदुमानगर